

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफ़ैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/100 दिवस का.यो./ 07497-07630 दिनांक : 17.5.19

आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिका,  
समस्त राजस्थान।

विषय: 100 दिवसीय कार्ययोजना अन्तर्गत राशि आवंटन हेतु कार्यादेश की प्रति भिजवाने बाबत।

प्रसंग: विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्रांक: 3737-3937 दिनांक 22.02.2019 एवं 9456-9647 दिनांक 26.03.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र (नीति-पत्र) के कतिपय बिन्दुओं पर विभाग द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की जाकर इसका नगर निकायों के स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके लिये निदेशालय द्वारा पार्क में संरक्षण/संवर्द्धन के कार्य एवं श्मशान/कब्रिस्तान में विकास कार्य करवाये जाने हेतु RUIRP Phase I&II के अंतर्गत स्वीकृत ऋण से कार्य करवाये जाने थे। जिसके लिये नगरीय निकायों द्वारा उक्त वर्णित दोनो कार्यों के कार्यादेश निदेशालय को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु आज दिनांक तक केवल 19 नगरीय निकाय द्वारा कार्यादेश जारी कर निदेशालय को प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उक्त कार्यों की मोनितरिंग हेतु बनाई गई गुगल ड्राईव पर किसी भी प्रकार का कोई अपडेशन नहीं किया जा रहा है।

अतः राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र (नीति पत्र) के अन्तर्गत विभागीय कार्ययोजना की प्रगति हेतु 15 दिवस में कार्यादेश जारी कर निदेशालय को भिजवाने एवं गुगल ड्राईव पर अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।

उज्ज्वल राठौड़

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/100 दिवस का.यो./ 07631-07697 दिनांक: 17.5.19  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
4. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/सम्भागीय अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम (समस्त)।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. अधिकाधी अभियन्ता, नगर निगम/परिषद (समस्त), समस्त राजस्थान।
7. सहायक लेखाधिकारी, अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ, निदेशालय।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

भूपन्द्र माथुर  
मुख्य अभियन्ता